हिस्सा बराबर 5 बीघा 5 बिस्वा का खातेदार घोषित किया जाता है। तथा इसी प्रकार प्रतिवादीगण संख्या २ व 3 पृथ्वीराज, राजू को 1/4, 1/4 हिस्से का बराबर 5 बीघा 4 बिस्वा 5 बीघा 4 बिस्वा का खातेदार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या-1 का हिस्सा 1/4 घोषित किया जाता है। इसी अनुसार रेकर्ड मे अमलदरामद कर रेकर्ड दुरुस्त किया जावे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर शामिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

11-4-18 पक्षकारान के आवेदन पत्र पर पत्रावली पुन: नम्बर पर दर्ज की। वादी एवं प्रतिवादी गण मय अधिवक्ता उपस्थित।

पक्षकारान ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि, पक्षकारान द्वारा लोक अदालत की भावना से तारीख 28/2/2018 को आपसी राजीनामा कर प्रकरण का निस्तारण करवाया था, किन्तु राजीनामा के साथ प्रस्तुत किये गये नक्शे अनुसार रेकर्ड मे अमल दरामद करने में परेशानी आ रही है, इसलिए पक्षकारान आज न्यायालय मे उपस्थित होकर संशोधित राजीनामा मय नक्शा प्रस्तुत कर रहे है।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

पृथ्वीराज
Id. by me

LTI
महादेव
Identified by

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज
	पक्षकारान ने संशोधित राजीनामा मय नक्शा अन्तर्गत ओडर 23 नियम 03 सपठित धारा 96, 151 C.P.C पेश कर कथन किया कि, लोक अदालत की पवित्र भावना से प्रेरित होकर आपसी राजीनामा प्रस्तुत कर मौजा मण्डापुरा मे स्थित कृषि भूमियां खसरा नम्बर 451, 1419/452, 1422/456, 1428/459, 1433/494, 1436/498, 1536/1425 कुल रकबा 20 बीघा मे वादी महादेव को प्रत्येक खसरा में खातेदार घोषित करते हुए कुल 5 बीघा 05 बिस्वा का खातेदार घोषित किया और उपरोक्त खसरान मे प्रतिवादी सं. 1,2,3, प्रत्येक को 05 बीघा 04 बिस्वा का खातेदार घोषित किया. रेकर्ड में अमल दरामद राजीनामा के संलग्न नक्शा अनुसार अमल दरामद मे परेशानी आने से हम पक्षकारान निम्न प्रकार से संशोधित राजीनामा खसरे वार रखी जाने वाली भूमि बाबत् करते है!-

ख-स.	छागन	महादेव	पृथ्वीराज	राजू	रास्ता	योग
1436/498	4.14	—	—	—	—	4.14 बीघा
1433/494	0.10	—	0.05	0.05	—	1.00 बीघा
1422/456	—	0.11	0.11	0.11	—	01.13 बीघा
1428/459	—	—	0.02.07	0.17.13	—	01.00 बीघा
451	—	—	1.11.19	0.08.01	—	02.00 बीघा
1536/1425	—	—	—	02.01	—	02.01 बीघा
1419/452	—	0.18.07	0.18.07	0.19.13	0.05	08.09 बीघा
	—	3.13.19	1.13.14	—	—	—
	5.04	5.03.06	5.02.07	5.02.07	0.05	20.17 बीघा

Scanned by CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

महादेव V/s छगन etc 39/2017

रास्ते हेतु रखा गया रकबा वादी एवं प्रतिवादीगण का सामलाती रहेगा।

उपरोक्त अनुसार संशोधित राजीनामा प्रस्तुत कर संशोधित निर्णय, संशोधित डिक्री जारी करने का निवेदन किया।

जिस पर उभय पक्षकारान को सुना, संशोधित राजीनामा मय नक्शा को बाद जांच तस्दीक कर शामिल मिसल किया।

चूंकि पक्षकारान के मध्य पूर्व में राजीनामा हुआ था, और राजीनामे के अनुसार ही प्रकरण का निस्तारण हुआ था, इसलिए वर्तमान में भी प्रकरण में राजीनामा संशोधित रूप से प्रस्तुत हुआ है, सभी पक्षकारान ऐसा संशोधन करने में सहमत है, पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य है, और राजीनामा पूर्व में हुई त्रुटि की दुरुस्ती हेतु प्रस्तुत हुआ है, प्रकरण में पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत संशोधित राजीनामा मय संशोधित नक्शा अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(J.D.) [illegible]

अ.नि. छगन

पृथ्वीराज

Sd. by me

महादेव

Identified by me

A. [illegible]